

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-05/2024

दिनांक 30/06//2024

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्या:वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांक:जून 04,2020 व पत्र संख्या:41/6-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 29.06.2024 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. स्वाट/सर्विलांस व थाना करण्डा पुलिस की संयुक्त टीम को मादक पदार्थ (हेरोइन) की तस्करी करने वाले 01 अंतर्राज्यीय अभियुक्त को 310 ग्राम नाजायज हेरोइन, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 60 लाख रुपये है, के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय गाजीपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 28.06.2024 को स्वाट/सर्विलांस व थाना करण्डा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अन्तर्राज्यीय मादक पदार्थ (हेरोइन) की अवैध तस्करी करने वाले गिरोह के 01 अभियुक्त को 310 ग्राम मादक पदार्थ हेरोइन (जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 60 लाख रुपये है) के साथ करण्डा बेदोली मोड़ के पास से समय करीब 22.15 बजे गिरफ्तार किया गया । हेरोइन की अवैध तस्करी करने वाले गिरफ्तारशुदा उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ विवरण:-

अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं चतरा झारखण्ड से कम कीमत पर नशीलें पदार्थ को खरीदकर वाराणसी, कोटा,राजस्थान आदी जगहों में ले जाकर उँची कीमतों पर बेचता हूँ। उनसे मिलने वाले पैसों से अपना व अपने परिवार का भरण-पोषण व शौक पूरे करता हूँ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम, पता व आपराधिक इतिहास:-

➤ रजनीश यादव उर्फ लल्लू यादव पुत्र राजेश्वर यादव निवासी आनापुर सरया थाना करण्डा जनपद गाजीपुर उम्र 28 वर्ष।

01.मु0अ0स0 254/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मुगलसराय जनपद चंदौली

02.मु0अ0स0 81/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना करण्डा जनपद गाजीपुर

बरामदगी का विवरण:-

01. 310 ग्राम हेरोइन (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 60 लाख रु0)

02. थाना बहरियाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 72/24 धारा 354, 366, 504, 506, 376 ,323

भादवि व 3(1)द,ध व 3(2)(5a), 3(2)(5) SC/ST ACT में वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय गाजीपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी सैदपुर के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 28.06.2024 को थानाध्यक्ष बहरियाबाद द्वारा मु0अ0सं0 72/24 धारा 354, 366, 504, 506, 376 ,323 भादवि व 3(1)द,ध व 3(2)(5a), 3(2)(5) SC/ST ACT में वांछित अभियुक्त अरमान अंसारी पुत्र शमीम अहमद अंसारी निवासी वार्ड नं0 9, राजीव नगर थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर को मुखबिर खास की सूचना पर सैदपुर हाईवे अण्डरपास से समय करीब 06.30 बजे अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. अरमान अंसारी पुत्र शमीम अहमद अंसारी निवासी वार्ड नं0 9, राजीव नगर थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 25 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 72/24 धारा 354, 366, 504, 506, 376 ,323 भादवि व 3(1)द,ध व 3(2)(5a), 3(2)(5) SC/ST ACT थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 24/22 धारा 34, 392, 411, 419, 420, 506 भादवि थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर
3. मु0अ0सं0 25/22 धारा 34, 307 भादवि थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर
4. मु0अ0सं0 38/22 धारा 3(1) गैंगेस्टर अधिनियम थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर
5. मु0अ0सं0 300/22 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर
6. मु0अ0सं0 472/20 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर
7. मु0अ0सं0 476/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर

गिरफ्तारी का स्थान -

सैदपुर हाईवे अण्डरपास थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर

03. थाना बहरियाबाद पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी की गिरफ्तारी।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय गाजीपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सैदपुर के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक- 29.06.2024 को उ0नि0 मोरध्वज दूबे मय हमराह का0 शिवा कुमार व का0 माधवेन्द्र सिंह के देखभाल क्षेत्र व मा0न्यायालय द्वारा जारी NBW वारंटी पप्पू पुत्र कवल राम नि0ग्राम तिसड़ा थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर सम्बन्धित एसटी नं0 209/2018, मु0नं0 168A/2006 धारा 308,504 भादवि थाना बहरियाबाद गाजीपुर के घर पर तलाश दबिश किया गया तो वारंटी/अभियुक्त अपने घर के बाहर कार्य करता हुआ मौजूद मिला। अभियुक्त को गिरफ्तार कर, नियमानुसार अग्रिम विधि कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. पप्पू पुत्र कवल राम नि0ग्राम तिसड़ा थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर उम्र 45 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त अपराधिक इतिहास-

2. मु0नं0 168A/2006 धारा 308,504 भादवि थाना बहरियाबाद गाजीपुर

गिरफ्तारी का विवरण

गिरफ्तारी का दिनांक- 29.06.2024 समय 05.51 बजे

गिरफ्तारी का स्थान –

1. घर के पास बहद ग्राम तिसड़ा थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर

स्वाट/सर्विलांस व थाना कोतवाली की संयुक्त टीम द्वारा अन्तर्जनपदीय 02 शातिर चोरो को चोरी की एक अदद लैपटाप मय चार्जर, एक अदद LED टी.वी, एक अदद जंजीर पीली धातु की, एक अदद मोबाइल व 5

हजार रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर कुशल के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी नगर निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 30.06.2024 को कांशीराम आवास के पास से मुखबिरी सूचना पर अभियुक्तगण 1.अरविन्द कुमार बिन्द उर्फ निरहुआ हिन्दुस्तानी पुत्र स्व0 गुड्डू बिन्द निवासी ग्राम हुसैनपुर थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र 22 वर्ष 2.सुधीर विन्द पुत्र स्व0 जोगी विन्द निवासी ग्राम सकरा (छेदी विन्द का पुरा) थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा इनके पास से चोरी एक अदद LED T.V. AZIANO कम्पनी का 32 इंच, एक अदद लैपटाप H.P कम्पनी, लैपटाप का चार्जर, एक अदद जंजीर पीली धातु की, 5000 रुपये नगद, एक अदद मोबाइल वीवो कम्पनी का बरामद हुआ जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पूर्व में मु0अ0सं0- 279/024 धारा 457,380 भादवि, मु0अ0सं0- 273/024 धारा 380 भादवि व मु0अ0सं0 199/024 धारा 380,511 भादवि पंजीकृत किया गया है, गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही किया जा रहा है ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम पता व आपराधिक इतिहास:-

1.अरविन्द कुमार बिन्द उर्फ निरहुआ हिन्दुस्तानी पुत्र स्व0 गुड्डू बिन्द निवासी ग्राम हुसैनपुर थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र 22 वर्ष

2 .सुधीर विन्द पुत्र स्व0 जोगी विन्द निवासी ग्राम सकरा(छेदी विन्द का पुरा) थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र 20 वर्ष

मु0अ0सं0- 276/23 धारा 147,323,325,427 भादवि थाना कोतवाली गाजीपुर ।

मु0अ0सं0- 384/23 धारा 380,411,457 भादवि भादवि थाना कोतवाली गाजीपुर ।

मु0अ0सं0- 505/20 धारा 147,323,325,427,452,504,506 भादवि थाना कोतवाली गाजीपुर ।

बरामदगी का विवरण –

1. एक अदद लैपटाप H.P कम्पनी का
2. एक अदद चार्जर लैपटाप
3. एक अदद जंजीर पीली धातु की
4. 5000 रुपये नगद
5. एक अदद मोबाइल वीवो कम्पनी का
6. LED T.V. AZIANO कम्पनी का 32 इंच

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर